

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं.2898  
08 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

**शीतागार श्रृंखला योजना**

**2898. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में शीघ्र नष्ट होने वाले फलों और सब्जियों के भण्डारण हेतु शीतागार श्रृंखला योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अभिकरणों के माध्यम से शीतागार श्रृंखला परियोजना अथवा भंडारण सुविधा चलाने के लिए किसानों को राजसहायता देने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या शीतागार श्रृंखला योजना के माध्यम से फलों और सब्जियों के भंडारण योजना के लिए राज्य सरकारों से सहमति और सहयोग लिया गया है/लिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री रवनीत सिंह)**

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में विभिन्न क्षेत्रों (फल और सब्जी क्षेत्र सहित) के अंतर्गत शीत श्रृंखला परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वर्ष 2008 से एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) की योजना को लागू कर रहा है और बाद में, इस योजना को वर्ष 2017 से केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना-अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के साथ मिला दिया गया है। हालांकि, शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत दिनांक 08.06.2022 से फल और सब्जी क्षेत्र से संबंधित शीत श्रृंखला परियोजनाओं को समर्थन बंद कर दिया गया और इस क्षेत्र को ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पीएमकेएसवाई की एक अन्य घटक योजना है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित नहीं करता है। यह योजना मांग आधारित है और धन की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने के माध्यम से शीत श्रृंखला योजना के मौजूदा योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र संस्थाओं से आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। मौजूदा योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों की उनकी पात्रता के लिए जांच की जाती है और मूल्यांकन किया जाता है। धन की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता आधारित मंजूरी दी जाती है।

(ग): शीत श्रृंखला परियोजनाएँ व्यक्तियों (किसानों सहित) के साथ-साथ संस्था/संगठन (जैसे कि एफपीओ/एफपीसी/एनजीओ/पीएसयू/फर्म/कंपनियाँ, आदि) द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से और कठिन क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति परियोजना अधिकतम ₹ 10.00 करोड़ तक होती है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समय-समय पर धन की उपलब्धता के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करने के माध्यम से पूरे देश से प्रस्ताव आमंत्रित करके शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत शीत श्रृंखला परियोजनाएँ स्थापित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शीत श्रृंखला परियोजनाओं में खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता की आवश्यकता होती है।